



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2011/ज्येष्ठ 16, 1933

No.3]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2011/JYAISTHA 16, 1933

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2011

का.नि.आ. 4(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9 जून, 2011 से मुम्बई में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र दमन एवं दीव और दादरा तथा नगर हवेली की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

अरून कुमार बल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2011

S.R.O. 4(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Mumbai with effect from 9th day of June, 2011, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Maharashtra, Gujarat and Goa and the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.

[F.No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]
ARUN KUMAR BAL, Jt. Secy.